


फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

क्रमांक 53 R-118 दिनांक 22/11/18 पत्रावली संख्या 22/11/18 संवत् ...

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
<p><u>02/11/18</u> पत्रावली तय की गई। राजस्व लोक अदालत अभियान "पंचायत आयोग द्वारा-2018" आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पदावरण को सूचित किया जाकर पत्रावली को <u>...</u> <u>21/6/18</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर (SDO) मावली</p>	
<p><u>11/6/18</u> पत्रावली राजस्व लोक अदालत केंद्र में पेश हुई। वादी/प्रतिवादी र स्थित रहे। प्रकरण दायर होने पर गिरफ्तार किया जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>...</u> <u>13/8/18</u> को न्यायालय हाजा में पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर (SDO) मावली</p>	
<p><u>13/8/18</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्राणी/अपालाण्ट प्रतिवादी / विपक्षी / पीठासीन-अधिकारी महो. आज <u>...</u> /मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>...</u> <u>13/11/18</u> को पेश हो।</p>	
<p><u>12/11/18</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्राणी/अपालाण्ट प्रतिवादी / विपक्षी /रूपो उपस्थित/पीठासीन-अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>...</u> <u>3/12/18</u> को पेश हो।</p>	
<p><u>3/12/18</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्राणी/अपालाण्ट प्रतिवादी / विपक्षी /रूपो उपस्थित/पीठासीन-अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>...</u> <u>21/3/19</u> को पेश हो।</p>	
<p><u>21/3/19</u> केल अवकाश होने से प्रकरण आज पेश हुआ। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>...</u> <u>21/3/19</u> को पेश हो।</p>	

00/3/19

वकुलीय वादी / प्रतिवादी नय / पत्रावली
के लिये मौका चाहते हैं। अतः अनुपस्थित
भ्रमणर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/5/19
को पेश हो।

SDO मौवली

कार्या

दमा

27/5/19

पत्रावली पेश हुई। वकाल प्राथी/अपालाण्ट
प्रतिवादी / अनुपस्थित / अनुपस्थित / पीठासीन-
अधिकारी महो. आज अनुपस्थित/भ्रमण. निर्दिष्ट
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश को पालना में
दिनांक 28/5/19.... को पेश हो।

25

28/5/19

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी
व वादी को आवार्फे दिलवार्फे गर्म
अनु. रहे हो अतः अनुपस्थित रहने
पर वाद वादी अदम हाजरी/
अदम पेशी में खारिफ किया जाता
है। पत्रावली फौजल सुमार होकर
जम्बट से कम ही।

निर्णय सुनाया गया

सहायक कलक्टर
(SDO) मौवली

